संख्या– 623 जेड/6–सा–1–13–4जी/2013

प्रेषक

अखिलेश चन्द्र गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/सचिव,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाक : 15 अप्रैल 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सहोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान के आय–व्ययक में कुल प्रावधानित **रू0 77,30,000/– (रू0 सतहत्तर लाख तीस हजार मात्र)** धनराशि निस्तारण पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

लेखा शीर्षक/मद	प्राविधानित धनराशि (हजार रूपये में)	स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में)
अनुदान संख्या–28 2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर–092–अन्य कार्यालय– 03–उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय		
01–वेतन	3693	3693
03–महंगाई भत्ता	3065	3065
04–यात्रा व्यय	50	50
06–अन्य भत्ते	479	479
07–मानदेय	50	50
08–कार्यालय व्यय	50	50
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20	20
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	20
13–टेलीफोन पर व्यय	20	20
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	80	80
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10	10
18–प्रकाशन	10	10
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1	1
22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	20	20
26–मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	1	1
42–अन्य व्यय	10	10
45–अवकाश यात्रा व्यय	20	20
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	30	30
49–चिकित्सा व्यय	100	100
51–वर्दी	1	1
योग	7730	7730

(रू0 सतहत्तर लाख तीस हजार मात्र)

कृपया ...

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेश के अनुसार किया जायगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहाँ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। वर्तमान स्थिति में आवश्यक व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कडाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

3– वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से किस्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–28 के लेखा शीर्षक "2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर 042 सचिवालय कार्यालय– 03–उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013 दिनांक 28/3/2013 दिनांक–28 मार्च, 2013 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया गया है।

भवदीय

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।

संख्या–623 (1)जेड/6–सा–1–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट–प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15–थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्यय) अनुभाग–1
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
8– आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9– अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ।
10– इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नवीन भवन उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।